भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4373

बुधवार, दिनांक 20 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

सौर पार्कों का वितरण

4373. श्री राहुल कस्वां: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान सौर नीति राष्ट्रीय सौर लक्ष्यों को पूरा करने के लिए राजस्थान की रेगिस्तानी पारिस्थितिकी को अत्तमान रूप से पर्यावरणीय संकट में डालती है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने कम पारिस्थितिक नाजुक्ता वाले अन्य राज्यों में सौर पाकों के अधिक न्यायसंगत भौगोलिक पुनर्वितरण पर विचार किया है, यदि हाँ, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सौर विस्तार से पहले कभी राजस्थान-विशिष्ट पारिस्थितिकी वहन क्षमता संबंधी अध्ययन किया गया है और यदि हाँ, तो उसके प्रमुख निष्कों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या ऊर्जा विस्तार का यह मॉडल समतापूर्ण संघवाद और दायित्व-साझेदारी के सिद्धांतों का उल्लघन करता है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RRECL) से प्राप्त सूचना के अनुसार, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, 2024 राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप, सौर ऊर्जा सहित राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा के समग्र विकास को बढ़ावा दे रही है।

(ख) "सौर पार्कों तथा अल्ट्रा-मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं का विकास" के लिए योजना के अंतर्गत, देश भर में सौर पार्कों के लिए स्थल के चिन्हिकरण के साथ, राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर 13 राज्यों में सौर पार्क स्वीकृत किए गए हैं।

(ग) RRECL से प्राप्त सूचना के अनुसार, सौर विस्तार के लिए कोई विस्तृत राजस्थान-विशिष्ट पारिस्थितिकी वहन क्षमता का अध्ययन नहीं किया गया है।

(घ) सौर परियोजनाओं का विकास विशिष्ट स्थान पर सौर संसाधनों की उपलब्धतना पर निर्भर करता है। सौर परियोजना डेवलपर, परियोजनाओं की तकनीकी तथा आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर परियोजना स्थलों का चयन करते हैं।

*****